26- पत्थर खोदने और ले जाने के लिए अनुज्ञप्ति

यह विलेख जो दिनांक..........को (अनुमापक) निवासी...........(जो एतद्पश्चात् अनुज्ञापक कहलायेगा) प्रथम पक्ष तथा (अनुज्ञप्तिधारी) निवासी............(जो एतद्पश्चात् 'अनुज्ञप्तिधारी'
कहलायेगा) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया
इस बात का साक्षी है कि :–
अनुज्ञापक अनुसूची में अंकित अचल सम्पत्ति का स्वामी है जो उसे विरासत में/पंजीकृत विलेख संख्या–... दिनांक .... क्रय द्वारा (जो लागू न हो, उसे काट दें) प्राप्त हुई है।
1. एतद्द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित अधिकार अनुदत्त कराता है :
(क) संलग्न मानचित्र में ''गुलाबी'' रंग से संदर्शित भूमि के नीचे से जो.....जिले के ....ग्राम में स्थित है और ....नाम से विदित है और जो लगभग .... एकड़ है, जो पत्थर मिले उन्हें खोदने और लेने का सम्पूर्ण और अनन्य अधिकार।
(ख) उक्त मानचित्र में संदर्शित मार्गों पर घोड़ागाड़ी, लारियॉ, कार आदि ऐसे समस्त वाहनों के साथ आवागमन का सम्पूर्ण और पर्याप्त मार्गाधिकार जो वाहन की उक्त भूमि से खोदकर निकाले गये पत्थरों को ले जाने के प्रयोजनार्थ, किन्तु किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, आवश्यक हो।
(ग) ऐसे छादक (ीमके) लाइनें और मशीनरी निर्मित करने और लगाने का सम्पूर्ण अधिकार और स्वाधीनता जो कि उक्त पत्थरों को खोदने, निकालने और ले जाने के लिए समय–समय पर आवश्यक हों।
2. अनुज्ञाप्तिधारी, जब तक कि वह इस अनुज्ञप्ति के अधीन पत्थर निकालता रहेगा, अनुज्ञापक को........... रुपये प्रति घनफुट पत्थर की दर से भाटक देगा और अनुज्ञाप्तिधारी एतद्द्वारा प्रत्येक मास की..........तिथि को ऐसे भाटक का भुगतान करने की संविदा करता है।
3. अनुज्ञाप्तिधारी, एतद्द्वारा संविदा करता है कि वह उन स्थलों को जहॉ पर कि वह पत्थरों की खुदाई करेगा, समुचित और पर्याप्त बाड़ और फाटकों द्वारा संरक्षित रखेगा और जब और जितनी बार वह किसी स्थल की खुदाई बंद करेगा तब और प्रत्येक ऐसे अवसर पर वह उसके चारों ओर बाड़ खड़ी करेगा और इस अनुज्ञप्ति के प्रवर्तनकाल में उस बाड़ को बनाये रखेगा तथा अनुज्ञापक को इस संविदा के किसी उल्लंघन के कारण पर–व्यक्तियों को होने वाली क्षति या हानि के विरुद्ध क्षतिपूरित रखेगा।
4. यदि किसी समय पर भी इसमें उपबन्धित भुगतान 21 दिन तक बकाया रहते हैं अथवा यदि अनुज्ञप्तिधारी इसमें अन्तर्विष्ट अनुबंधों और शर्तों का पालन करने में विफल हुआ है तो सूचना देकर इस करार–पत्र को समाप्त किया जा सकेगा।
5. इस करार–पत्र के समाप्त हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी, तीन माह के भीतर उक्त भूमि पर समस्त छादक, निर्माण, मशीनरी, पटरियॉ तथा संयंत्र अपने व्यय से हटायेगा और कोई भी सम्पत्ति जो उक्त तीन मास की भीतर हटायी नहीं जायेगी, अनुज्ञापक द्वारा व्ययनित कर दी जायेगी, उसके लिए वह अनुज्ञप्तिधारी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
अनुसूची
अचल सम्पत्ति का विवरण
जिसके प्रमाण में, आदि
(दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर और मुद्राऐं)
साक्षी–1
साक्षी–2